20/5/2024 | अधिवक्ता प्रार्थी उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए RTA विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की कृषि आराजी संख्या 405 रकबा 1.09 हे. मौजा कलालिया प० ह० खजुरिया दर्ज रेकार्ड है। इस आराजी पर आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात में कृषि करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खेती नहीं कर पाने से प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात में समय पर फसल की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, अनाज वगैरा लाने-ले जाने के लिए खेत पर बैलगाड़ी नहीं ले जा पाते है। प्रार्थी को रास्ते के अभाव में काफी क्षति हो रही है और राज० टिने० एक्ट की धारा 251 ए अनुसार प्रार्थी अपनी आराजीयात में रास्ता लेने का अधिकारी है। कानून की यह मंशा रहती है कि रास्ते के लिए काम ले

....लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कम आराजीयात के जरिए रास्ता कायम किया जा सके इसके लिए जितना रास्ता आने जाने के लिए कम लम्बा होगा अर्थात छोटा होगा उतनी कम आराजीयात रास्ते के रूप में लिया जाना उचित होगा। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के बीच में केवल मात्र विपक्षी संख्या 01 से 11 तक की आराजीयात आराजी नम्बर 403, 404 व 406 में स्थित है और सब से छोटा और कम लम्बा रास्ता प्रार्थी के लिए विपक्षी संख्या 01 से 11 की आराजीयात से ही आने-जाने में उचित है। प्रार्थी की आराजीयात में आने-जाने के लिए कोई रास्ता रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 से 11 अपनी आराजीयात में होकर आने-जाने नहीं देते प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी आराजीयात में पहुंचने के लिए नियमानुसार रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी की आ.नं. 405 में आने जाने के लिए आ.नं. 403, 404 व 405 में रास्ता था। प्रार्थी इसी आराजीयात से होकर अपने खेत पर

----[illegible]

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आता जाता था। उक्त रास्ता प्रार्थी की सुविधा सन्तुलन न्यायिक दृष्टि से सुविधा पूर्वक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया फरमाया जाकर ग्राम फलासिया प०ह० शम्भुपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित आ.नं. 405 में आने-जाने के लिए आराजी नम्बर 403, 404, 405 में से रास्ता कायम किए जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए क्रमांक/राजस्व/2024/25/358 दिनांक 07/5/2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आने-जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा आ.नं. 405 में आने-जाने हेतु आ.नं. 403, 404, 406 से रास्ता चाहा। मौके पर उपस्थित ग्रामीण मानते हैं कि आ.नं. 406 की पश्चिम मेड़ से या आ.नं. 407 की पूर्वी मेड़ की ओर आधा रास्ता देने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। आ.नं. 406 की पश्चिमी मेड़ की ओर आ.नं. 403 एवं 404 में से अथवा आ.नं. 407 की पूर्वी मेड़ की ओर आ.नं. 408, व 412 में से प्रार्थी को 92 मीटर लम्बाई एवं 3 मीटर चौड़ाई 276 वर्ग मीटर भूमि रास्ता हेतु उचित है जिसकी डी.एल.सी. अनुसार दो गुणा राशि

... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

73614.00 रुपए होती है। दौराने सुनवाई पक्ष व हस्त अधिवक्ता विपक्षीगण ने कथन किया कि आ. नं. 407 के पूर्वी मेड की ओर आ. नं. 508, 512 में रास्ता दिए जाने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है। मौका रिपोर्ट के साथ जमाबंदी नकल जमाबन्दी अनुसार आ. नं. 407 खातेदार गोपीलाल s/o चतुर्भुज, चरणसिंह s/o रामप्रसाद, देऊबाई w/o अम्बालाल, मानसिंह s/o राजाराम, रामकन्या w/o राजाराम, रामलाल s/o अम्बालाल तथा आ. नं. 508 जगदीश - लालसिंह - शिवनारायण पिता राधचन्द तथा आ. नं. 512 परसराम - सत्यनारायण पिता धमण्डी राम जाट सा. फलासिया के नाम दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम फलासिया प. ह. शम्भुपुरा तह. चित्तौड़गढ़ स्थित आ. नं. 505 रकबा 1.09 हे. पर आने-जाने हेतु ग्राम फलासिया की आ. नं. 407 की पूर्वी मेड की ओर आ. नं. 508 व 512 में से 92 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ाई 276 वर्गमीटर की डी.एल.सी. दर के दो गुना राशि 73614.00 रुपए का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को किए जाने पर आ. नं. 407, 508, 512 में से 276 वर्गमीटर भूमि जो मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं ......लगातार

(बीनू देथल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म

उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि राशि 73615/- रुपए का भुगतान सम्बन्धित खातेदारों को करने हेतु खातेदारान के निहित हक हिस्से अनुसार उनके नाम के ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाये जावे एवं राजस्व अभिलेख में अमल हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाये जावे तथा मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर राजस्व अभिलेख में अमल हेतु तहसीलदार को पाबंद किया जावे कि सम्बन्धित को भुगतान किए जाने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे के अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाजम से जमा हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)